

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 38/2015

अपीलाण्ट

बनाम रेस्पोंडेन्ट

1. पीराराम पुत्र हरजी
2. देवाराम पुत्र हरजी जातिगण  
मेघवाल निवासीगण गुड़ा एन्दला

1. कपूराराम पुत्र मूलाराम जाति  
मेघवाल निवासी गुड़ा एन्दला  
तहसील व जिला पाली
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी  
तहसीलदार, पाली

अपील संख्या : 39/2015

अपीलाण्ट

बनाम रेस्पोंडेन्ट

1. पीराराम पुत्र हरजी
2. देवाराम पुत्र हरजी
3. सुखी पत्नी देवाराम
4. कानाराम पुत्र देवाराम
5. वनाराम पुत्र समाराम जातिगण  
मेघवाल निवासीगण गुड़ा एन्दला

1. कपूराराम पुत्र मूलाराम जाति  
मेघवाल निवासी गुड़ा एन्दला  
तहसील व जिला पाली
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी  
तहसीलदार, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री श्रवणसिंह विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स

—: निर्णय :-

दिनांक : 28.9.2018

अपीलाण्ट्स की ओर से पृथक पृथक अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2009 पीराराम वगैरह बनाम कपूराराम वगैरह तथा राजस्व वाद संख्या 39/2009 कपूराराम बनाम हरजी के का0मु0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। दोनों ही प्रकरण एक ही आराजी से सम्बन्धित होने से प्रकरणों का समग्र रूप से निस्तारण किया जा रहा है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर विभाजन कराते हुए पृथक से खातेदारी दर्ज कराने



राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

तथा अपीलाण्ट्स को स्थायी व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया। वास्तविक स्थिति यह है कि ग्राम गुडा एन्दला चक द्वितीय स्थित खसरा नम्बर 1042 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर हमेशा से ही अपीलांट का कब्जा रहा है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से अर्थात् अपीलार्थी के पिता और रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पिता के संयुक्त नाम से म्यूटेशन संख्या 485 द्वारा 1971 में इन्द्राज कर दिया, जबकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पिताजी का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है। इन तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित कराने एवं रेस्पोजेन्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित कराने का निवेदन किया। रेस्पोजेन्ट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया, उसमें अपीलाण्ट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया था, तत्पश्चात रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन इस आशय का पेश किया था कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, इसलिये इस आधार पर लाया गया वाद खारिज किया जावे। रेस्पोजेन्ट का प्रार्थना- पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, तत्पश्चात पत्रावली में तनकीयात कायम की गई और इसके पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत रही। इसी दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में बिना किसी आधार के ही अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, इसके साथ ही रेस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 53 के वाद को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी अर्थात् अपीलार्थी तय थी ऐसी स्थिति में बिना साक्ष्य लिये, बिना तनकीवार फाईन्डिंग दिये कैम्प कोर्ट में अधिकाधिक प्रकरण निर्णित कर निर्णित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य के से विधिक प्रावधानों को ताक पर रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोजेन्ट का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी, किसी भी रूप से कब्जा-काश्त नहीं रहा है इस सन्दर्भ में रेस्पोजेन्ट द्वारा स्वयं द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर कब्जा नहीं होना स्वीकार किया था, साथ ही तहसीलदार महोदय व पटवारी की रिपोर्ट्स में भी रेस्पोजेन्ट का कब्जा नही होना पाया गया था। इस सम्बन्ध में अपीलांट को दस्तावेज प्रदर्शित करवाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का पूर्णरूपेण अवसर दिये, बिना तनकीयात कायम किये केवल यह कहते हुए कि "प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं" जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह दावा लेकर आये थे कि समस्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा है। जबकि रेस्पोजेन्ट का वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर निरन्तर कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष एडवर्स पजेशन के आधार पर था, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण अधीनस्थ



d  
राजस्व अपील प्राधिकारण  
पाली

न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के वाद को खारिज करते हुए रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो पूर्णतः विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने एक वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय में पेश किया कि ग्राम गुडा एन्दला चक द्वितीय स्थित खसरा नम्बर 1042 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर हमेशा से ही अपीलाण्ट का कब्जा रहा है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से अर्थात् अपीलार्थी के पिता और रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पिता के संयुक्त नाम से म्यूटेशन संख्या 485 द्वारा 1971 में इन्द्राज कर दिया, जबकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पिताजी का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है। इसी प्रकार रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया, वह सह-खातेदारी भूमि के विभाजन एवं पृथक से खातेदारी घोषित कराते हुए स्थायी व्यादेश पारित करने के सम्बन्ध में था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों की प्रकरणों में विवादित आराजी एवं पक्षकार समान होने से प्रकरणों को कन्सोलिडेट किया जाकर सुनवाई की गई। प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई -

1. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटवा कर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण ?
3. अनुतोष ?

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो तनकीयात कायम की गई है, वह अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यों के अनुसार ही थी, जबकि दोनों ही प्रकरणों को कन्सोलिडेट किए जाने के परिणाम स्वरूप दोनों ही प्रकरणों में वर्णित तथ्यों के आधार पर तनकीयात कायम की जानी थी, जो नहीं की गई। जब रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर कोई विवाद बिन्दु ही कायम नहीं हुए, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र राजस्व रेकर्ड को दृष्टिगत रखते हुए बिना तनकीयात विवेचन के जैर अपील निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 2015 (2) पेज 1283 रामचन्द्र बनाम रामनिवास में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधान की पालना किया जाना आवश्यक है तथा प्रत्येक तनकी पर निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना आवश्यक है।" इसके अतिरिक्त हस्तगत निर्णय राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है, जबकि इस सम्बन्ध में न तो पक्षकारान् में सहमति थी एवं न ही समस्त पक्षकार राजस्व लोक अदालत में उपस्थित थे। इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or




राजस्व अपील प्राधिकरण  
पाली

settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। उपरोक्त कारणों से हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2009 पीराराम वगैरह बनाम कपूराराम वगैरह तथा राजस्व वाद संख्या 39/2009 कपूराराम बनाम हरजी के का0मु0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ सहायक कलक्टर पाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का समुचित विवेचन किया जाकर, एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणवागुण पर निर्णय पारित करे। निर्णय की पृथक पृथक प्रति संबंधित पत्रावली के नत्थी हो। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली